प्रशिक्षण दर्पण

त्रैमासिक पत्रिका

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल, भुसावल - 425 203

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आय.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित प्रथम क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

फोन - 02582-222678/224600
रेलवे - 54900/54918/54920
ई मेल - ztc@bsl.railnet.gov.in , zrtibsl@gmail.com

फैक्स - 02582- 222678
रेलवे - 54907/54918

वर्ष - तृतीय | अंक - नौं | जुलाई से सितंबर 2008

अन्नपूर्णा भोजनालय

भोजन पर्यवेक्षक	02
वरि. कुक	08
कुक	13
सहा. कुक	06
बेयरर	26
मेस क्लीनर	04
कुल कार्यरत कर्मचारी	59

मेस में रोटी बनाने की मशीन का अवलोकन करते मुख्य परिचालन प्रबंधक तथा इनसेट में भोजन ग्रहण करते हुए प्रशिक्षार्थी.

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का भोजनालय सभी छात्रावास बिल्डींग के मध्य स्थित है, जिसके कारण प्रशिक्षार्थी आसानी से भोजनालय मे पहुंच सकते हैं। इस भोजनालय को कार्यालयीन कर्मचारियो द्वारा चलाया जाता है। यह भोजनालय मध्य रेल, पश्चिम मध्य रेल, कोंकण रेल तथा आई.आर.सी.टी.सी. इकाई से आए प्रशिक्षार्थियों को संपूर्ण खानपान सुविधाओं की आपूर्ति करता है । इस भोजनालय में अवर, प्रवर एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग भोजन कक्ष उपलब्ध है। इन कक्षों में दो पारी में एक हजार तक प्रशिक्षार्थी एक साथ भोजन कर सकते हैं। आमिष तथा निरामिष खाना बनाने हेतु अलग-अलग रसोई घर हैं। गैस भंडार गृह, सब्जी भंडार कक्ष, कच्चा भोजन सामग्री गृह, भोजन वितरण काऊंटर तथा बर्तन धोने हेतु अलग से कमरे बनाए गए हैं। खाना बनाने की विभिन्न अत्याधुनिक मशीनें जैसे आटा गूंदने की, पूरी या रोटी बनाने की, ग्राइंडर, आलू छिलने की, चावल उबालने का यंत्र, डीप फ्रीजर, रेफ्रीजरेटर, चपाती सेंकने का यंत्र, इत्यादि भी उपलब्ध है । शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन के अलावा चाय, दूध, फल, आईस्क्रीम, खीर तथा कस्टर्ड आदि मिष्ठान्न भी प्रशिक्षार्थियों को परोसा जाता है। भोजनालय का मेनू प्रशिक्षार्थियों द्वारा कक्षा प्रतिनिधियों की मिटींग में तय किया जाता है। भोजन परोसनें में भी प्रशिक्षार्थियों का सहयोग लिया जाता है। मेस प्रभार पदोन्नति तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थीयों से यात्रा भत्ते के अंशदान से लिया जाता है। उसी प्रकार प्रारंभिक पाठयक्रम के प्रशिक्षार्थियों से मेंस प्रभार वेतन या स्टायपेंड से प्राप्त किया जाता है। कच्चे भोजन सामग्री की प्राप्ति निविदा प्रक्रिया द्वारा की जाती है। प्रशिक्षकों तथा अधिकारियों केमाध्यम से प्रतिदिन खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है ।

अतिथियों का आगमन

1. दिनांक 30.07.2008 को **मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री विनय मित्तल जी** ने संस्थान का निरीक्षण किया । इस अवसर पर संस्थान की वेबसाईट का रेलनेट पर उद्घाटन किया । साथ ही यातायात एवं विद्युत लोको संकाय की पाठ्यसामग्री का विमोचन भी किया ।

2. दिनांक 05.09.2008 को पश्चिम मध्य रेल के **मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री अजीत पंडीत** ने संस्थान को भेंट दी तथा प्रशिक्षण संबंधी चल रही गतिविधियों का जायजा लिया।

अतिथि व्याख्यान

नाम	पदनाम	व्याख्यान के विषय
श्री पी. सी. पुंडे	स.वा.प्रबं	संस्थापन
श्री ए.एस.बोकड़े	स.प.प्रबं	संरक्षा
श्री के.एम.सक्सेना	उप मु.वा.प्रबं	खुली/निर्धारण सुपुर्दगी

अन्य गतिविधियाँ

1. स्वतंत्रता दिवस :- दिनांक 15.08.2008 को स्वतंत्रता दिवस की 62 वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान के सभी प्रशिक्षार्थियों एवं प्रायमरी स्कूल के बच्चों द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया तथा के.जी. स्कूल के बच्चों द्वारा फेन्सी ड्रेस का सफल आयोजन शिक्षिका श्रीमती गाडगिल एवं श्रीमती राव के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्राचार्य महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर इंस्टिट्यूट रेलवे के क्लब बॉय को प्राचार्य महोदय द्वारा सामूहिक नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया ।

2. हरियाली तीज महोत्सव :- अगस्त माह में महिला समाज सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती सिंदीकर जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें महिला सदस्यों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया तथा महिलाओं के लिए प्रचलित विविध प्रासंगिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने इस महोत्सव में चार चाँद लगा दिये।

3. गणेशोत्सव :- दिनांक 03.09.2008 को गणेशजी की प्रतिमा स्थापना के साथ गणोशोत्सव प्रारंभ हुआ। सुबह, शाम आरती तथा बच्चों के लिए बाल फिल्म दिखाने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया भजन, नृत्य के साथ दिनांक 07.09.2008 को धुमधाम से प्रतिमा का विसर्जन प्राचार्य श्री आर. डी. सिंदीकर एवं श्रीमति सिंदीकर के कर कमलों द्वारा किया गया ।

4. राजभाषा सप्ताह :- प्राचार्य द्वारा हिंदी दिवस संदेश पठन के साथ दिनांक 15.09.2008 से 25.09.2008 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत टिप्पण आलेखन, निबंध तथा वाक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, साथ ही हास्य कवि संम्मेलन तथा प्रश्नमंच इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 25.09.2008 को पुरस्कार वितरण के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

5. खेलकूद :- स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संस्थान के रेलवे इंस्टीट्युट द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमे संस्थान मे प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षार्थियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया, इस दौरान महिला एवं पुरूष बैडमिंटन (एकल एवं डबल्स), टेबल टेनिस, कैरम, 100 मी. दौड, 1000 मी. दौड, गोला फेंक खेल प्रतियोगिताओं का

आयोजन किया गया। विजेता प्रशिक्षार्थियों को प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य महोदय के कर कमलो से पुरस्कृत किया गया। खेलकूद अधिकारी श्री वी.जी. नायर ने प्रशिक्षार्थियों का धन्यवाद करते हुए आव्हान किया कि भविष्य मे होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं मे भी आप इसी तरह बढचढ कर भाग ले एवं पुरस्कार जीतें।

6. सांस्कृतिक कार्यक्रम - माह जुलाई का सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 31.07.2008 को संपन्न हुआ जिसमे प्रशिक्षार्थियों ने विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक सचिव श्री ए. जी. गाडगील ने मंच संचालन किया। माह अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में दिनांक 14.08.2008 को संपन्न हुआ जिसमे प्रशिक्षार्थियों ने देशभक्ति गीत, देशभक्ति कविता तथा महिला प्रशिक्षार्थियों ने देशभक्ति पर समुह गीत प्रस्तुत किया। माह सितंबर का सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 24.09.2008 को संपन्न हुआ जिसमें प्रशिक्षार्थियों नें विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपरोक्त सभी आयोजनों में, प्राचार्य श्री आर. डी. सिंदीकर ने इनमें सहभागी प्रशिक्षार्थियों को पुरस्कृत किया।

विदेश प्रशिक्षण

भारतीय रेल तथा राइट्स द्वारा रेल पर्यवेक्षकों हेतू ओवरसीज प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीडेन (स्टॉकहोंम / यूरोपीयन देश) में दिनांक 15.9.08 से 26.9.08 तक आयोजित किया गया जिसमें **श्री रमेश अय्यर** वरिष्ठ संस्थापन प्रशिक्षक ने मध्यरेल का प्रतिनिधित्व किया । उन्हें प्रशिक्षण के दौरान स्टॉकहोम, हेल्सबर्ग, उलपसला, गवला, फिनलैंड (हेलशिंकी) आदि स्थानों / शहरों पर स्वीडरेल, रेल संचालन, व्यवस्था, विभिन्न वर्कशॉप्स, यात्री सुविधाएँ, आधुनिकीकरण, प्रबंधकीय कौशल्य आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया ।

भारतीय रेल पर पहली बार विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों के कुल 25 पर्यवेक्षकों को भेजा गया । प्रशिक्षणोंपरांत संस्थान में आयोजित एक विशेष सभा में श्री अय्यर ने विदेश प्रशिक्षण के अनुभव, क्रियाकलापों आदि की विस्तृत जानकारी सीडी के माध्यम से सर्व संबंधितों को दी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

लेख - श्री रमेश आर. अय्यर (प्रवर स्थापना प्रशि.)
अनुवादक - श्री जी. एन. धकाते (राजभाषा सहायक)

दिनांक 12 अक्टूबर 2005 (विधिकरण का 120 वॉ दिन) को पारित सूचना का अधिकार 2005 सामान्य जनों के हाथ में सूचना प्राप्त करने का एक हथियार समझा जा सकता है।

उद्देश्य : सूचना प्राप्त करने की **व्यावहारिक, सामाजिक व्यवस्था** की स्थापना करने तथा कामकाज में **पारदर्शिता एवं जवाबदेही** को बढाते हुए अधिकारियों के अधीन जानकारी को जन सामान्यों द्वारा सहजता से प्राप्त करने की व्यवस्था को बजाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह **एक निरपेक्ष अधिकार है**।

उपयोग : जम्मू एवं काश्मीर, गुप्तचर विभाग, संरक्षा एवं अधिसूचित विभागों को छोडकर यह अधिनियम भारत सरकार के सभी लोकजन/जन सेवकों / अधिकारियों पर लागू है।

मुख्य प्रावधान :

(अ) इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति/नागरिक द्वारा, कार्य निरीक्षण का अधिकार, कागजातों, रिकार्ड (अभिलेखों) की टिप्पणियॉ नोट करना या प्रमाणित कॉपियों, कागजातों/अभिलेखों के उद्धरण (एक्स्ट्राक्ट) प्राप्त करना, कोई भी लिखित सामग्री या प्रारूप या इलेक्ट्रानिक माध्यम में उपलब्ध सामग्री या प्रारूप को प्राप्त किया जा सकता है ।

(ब) जानकारी प्राप्त करना - जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की राजभाषा में उसी क्षेत्र के जन सूचना अधिकारी (पब्लिक इनफार्मेशन ऑफीसर-पीआईओ) को वांछित जानकारी का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होता है।

(क) शुल्क - वांछित जानकारी का कारण न बताते हुए भी, ऐसे व्यक्तियों/नागरिकों द्वारा रु. 10/- (रुपए दस मात्र) निर्धारित शुल्क भरकर (गरीबी रेखा के नीचे स्तर को कोई शुल्क नहीं) आवेदन किया जा सकता है।

जानकारी का निपटान (डीस्पोजल ऑफ इनफॉर्मेशन) :-

जन सूचना अधिकारी (पब्लिक इनफार्मेशन ऑफीसर-**पीआईओ**)/सहायक जन सूचना अधिकारी (असिस्टंट पब्लिक इनफार्मेशन ऑफीसर-**एपीआईओ**) द्वारा संबंधितों को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर वांछित जानकारी (यदि प्रकटिकरण की छुट न दी हो तो) देना आवश्यक है। यदि, जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित हो तो यह अवधि 40 दिन की है। (पक्ष को अपना प्रतिवेदन रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है) तथापि, जानकारी जीवन या स्वतंत्रता (लाईफ एंड लिबर्टी) से संबंधित हो तों केवल 48 घंटे के भीतर यह जानकारी देना आवश्यक है।

यदि सूचना प्राप्ति का आवेदन एपीआईओ को प्रस्तुत किया हो तो उपरोक्त अवधि के साथ 5 दिन का अधिक समय दिया जाता है।

निर्धारित अवधि के भीतर **पीआईओ/एपीआईओ** द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर इसे **सूचना का इनकार** समझा जाएगा

पुनरावेदन (अपील) - **पीआईओ/एपीआईओ** द्वारा सूचना का इनकार करो पर या असंतुष्ट, दु:खी, खिन्न या अपमानित होने पर, ऐसे व्यक्तियों/नागरिकों द्वारा 30 दिन के भीतर इनसे उच्च अधिकारियों (जो इस अधिनियम के अंतर्गत नामित है) को पुनरावेदन प्रस्तुत कर सकते है।

पौनर्वादिक प्राधिकारी (अप्पेलेट अथारिटी) के निर्णय के विरोध में नागरिकों को 90 दिन के भीतर **केंद्रीय/राज्य सूचना आयुक्त** के समक्ष अपना दूबारा आवेदन प्रस्तुत करने की स्वेच्छा दी गई है।

कमिशन के समक्ष अपील कार्यवाही के दौरान सूचना नकार देने के कारणों संबंधी स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने का पुरा दायित्व उस पीआईओ पर होगा जिसने उस सूचना को नकारा था।

इस मामले में अपिल का निपटान 30 दिन के भीतर करना होगा (जो 45 दिनों तक भी बढाई जा सकती है) साथही इस मामले में आयुक्त के निर्णय को बंधाकारक माना जाएगा।

शास्ति (पेनाल्टी) :-

अपील या शिकायत के सुनवाई के दौरान यदि आयुक्त को लगता है कि पीआईओ/एपीआईओ द्वारा बिना किसी उचित कारण के सूचना नकारा हों या निर्धारित अवधि के भीतर सूचना नहीं दिया हों या अवास्तविक रूप से सूचना नकारी गई हों या जानबुझकर गलत सूचना या अपुर्ण सूचना दी हों या भ्रामक सूचना दी गई हों जो वांछित सूचना का विषय था या सूचना प्राप्त करने में बाधक बना हों ऐसे मामलों में जिस दिन से आवेदन प्राप्त हुआ है या उस दिन की सूचना दी गई है, उस दिन तक प्रति दिन रुपए 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) के हिसाब से जो अधिकतम रू. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) की मौद्रिक शास्ति लगाई जा सकती है। यदि आयोग को लगता हो की पीआईओ द्वारा बिना किसी तर्कशुद्ध कारण के कार्यवाही की गई है या लगातार अपने कार्य में विफल रहे हों, तो आयोग द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध सेवा शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की जा सकती है।

स्वागत / बधाई / विदाई

श्री मांगलिया मीणा, सहा .मं.वि.प्र. के संस्थान में आगमन पर उन्हें हार्दिक बधाई ।

श्री विजय कुमार शर्मा, इंजिनीयरिंग प्रशिक्षक (रेलपथ) के संस्थान में आगमन पर हार्दिक बधाई ।

श्री सी. डी. पौनीकर, सहा. परि. प्रबंधक के स्टेशन प्रबंधक के पद पर पुणे स्थानांतरण पर उहें विदाई दी गई ।

श्री खान, सहा. मं.वि.प्र. के भुसावल मंडल में स्थानांतरण पर उहें बिदाई दी गई ।

श्री रमण कुमार ठाकुर, प्रवर यातायात प्रशिक्षक का अन्वेषण निरीक्षक (सतर्कता) रेलवे बोर्ड में सर्वोच्च स्थान पर चयन होने पर बधाई एवं विदाई।

श्री अरूण कुमार सिंह, प्रवर यातायात प्रशिक्षक का मुंबई मंडल में एल.डी.सी.ई. यातायात प्रशिक्षु के पद पर प्रथम स्थान पर चयन होने पर बधाई एवं विदाई।

संपादकीय

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल का दर्पण साबित होती पत्रिका प्रशिक्षण दर्पण का सम्पादकीय लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। यह पत्रिका संस्थान में चल रही दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को उजागर करने में मील का पत्थर साबित होने के साथ ही, हमारे प्रबुध्द पाठक गणों के लिए भी निश्चित रूप से लाभप्रद सिध्द हुई है। मुख्य परिचालन प्रबंधक मध्य रेल मुंबई द्वारा संस्थान के नि-नरीक्षण के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों की सराहना की गई । मैं बधाई देता उन्हें बधाई देता हूँ जिन्हें मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

अंत में मैं इस पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करते हुए, सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई देता हूँ, इस पत्रिका को और लाभप्रद बनाने हेतु प्रबुध्द पाठकों के सुझाव सहर्ष आमंत्रित है ।

आर.डी. सिंदीकर
प्राचार्य

संपादक मंडल

संरक्षक	:	श्री विनय मित्तल (मुख्य परिचालन प्रबंधक)
मार्गदर्शन	:	श्री झेड.ए. सिद्दीकी (मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक)
मुख्य संपादक	:	श्री आर.डी. सिंदीकर (प्राचार्य)
उप संपादक	:	श्री आर.एल. जाटव (उप प्राचार्य)
सह संपादक	:	श्री महेश कुमार (सहा. मंडल विद्युत अभियंता)
		श्री एम. मीणा (सहा. वित्त प्रबंधक)
संकलन	:	श्री विजय काशीनाथ मोरे (प्रवर यातायात प्रशिक्षक)
		श्री जी.एन. धकाते (राजभाषा सहायक)
		श्री आर.एल.प्यासे (एसी लोको प्रशिक्षक)
ग्राफिक्स/सज्जा	:	श्री शशिकांत के. माली (वरि. सिमुलेटर प्रशिक्षक)
छायांकन	:	श्री अतुल एम. दांडवेकर (प्रवर यातायात प्रशिक्षक)
सहयोग	:	श्री ए. के. सिंह (यातायात प्रशिक्षु, मुंबई मंडल)